



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 162846

16

05. यह कि विकास एवं निर्माण कार्य में आने वाले समस्त मूल्य या खर्च जिसमें इमारती सामान, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठेकेदार व सक्षम एजेन्सी इत्यादि के खर्च शामिल है, को विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।
06. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष ने भू-स्वामी प्रथम पक्ष को यह विश्वास दिलाया है कि वह योजना के अनुसार समस्त निर्माण कार्य, श्रेष्ठ गुणवत्ता के अनुसार व नियमों के अनुरूप मानक के अनुसार सामान का इस्तेमाल करके करेंगे।
07. यह कि द्वितीयपक्ष प्रस्तावित निर्माण आदि का कार्य वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात चार साल के अंदर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर एक साल

[Signature: अ. क. सिंह] [Signature: Anil Kumar Singh] [Signature: B.K. Patel]

 [Fingerprint] [Fingerprint] [Fingerprint]

 [Signature: राहुल राव] [Signature: Anil Kumar Singh] [Signature: Anil Kumar Singh]

 [Fingerprint] [Fingerprint] [Fingerprint]

 [Signature: Anil Kumar Singh] [Signature: Anil Kumar Singh]

 [Fingerprint] [Fingerprint]